भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3469

10.08.2026 को उत्तर के लिए

कैम्पा निधि के उपयोग का आकलन

3469. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी राशि संचित की गई और राज्यों को संवितरित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देशभर में वनीकरण, पुनर्वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार परियोजनाओं के संदर्भ में विशिष्ट उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कैम्पा निधि की स्थापना के बाद से अब तक वनीकरण परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग की प्रभावशीलता का कोई व्यापक प्रभाव आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वनीकरण के लिए भूमि का चयन करने के मानदंड क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति क्या है कि ये क्षेत्र नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्रों की पर्याप्त भरपाई कर सकें और इसका स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) द्वारा संचित तथा राज्यों को वितरित की गई कुल राशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** एवं **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी राज्य कैम्पा निधि का उपयोग करते हुए किए गए प्रतिपूरक वनीकरण, कृत्रिम पुनर्जनन तथा सहायताप्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और वनीकरण के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग) और (घ): प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत विकसित किए गए पौधरोपणों की निगरानी एवं मूल्यांकन, जिसमें स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा निगरानी भी शामिल है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाता है। ऐसी निगरानी एवं मूल्यांकन रिपोर्टों पर संबंधित राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रावधानों तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित भूमि वनीकरण एवं प्रबंधन के लिए उपयुक्त हो तथा सभी प्रकार के ऋणभार एवं भारमुक्त हो।

इसके अलावा, वन भूमि के अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं एवं सेवाओं की क्षति की भरपाई के लिए चिन्हित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर राज्य वन विभाग द्वारा स्थल-विशिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ देशज प्रजातियों का वृक्षारोपण, मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय तथा वृक्षारोपण की कम-से-कम 10 वर्षों तक सुरक्षा एवं अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है।

अनुलग्नक-I

"कैम्पा निधि के उपयोग का आकलन" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3469 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(रुपयों में)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्तियाँ						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22 के दौरान प्राप्ति**	**2022-23 के दौरान प्राप्ति**	**2023-24 के दौरान प्राप्ति**	**2024-25 के दौरान प्राप्ति**	**2025-26 के दौरान प्राप्ति**
1	अंडमान निकोबार	150,276,108.00	91,055,328.00	123,053,286.00	3,461,058.00	161,170,638.00
2	आंध्र प्रदेश	274,242,958.80	473,745,677.00	1,809,771,358.00	1,522,468,614.00	1,538,613,255.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2,166,215,248.00	4,670,945,779.00	4,805,933,511.00	13,148,734,348.00	7,488,302,971.00
4	असम	186,269,793.00	1,069,024,036.94	959,490,835.00	1,376,803,258.00	310,008,436.00
5	बिहार	539,027,916.20	2,238,477,224.20	532,401,667.00	503,789,124.00	571,284,725.00
6	चंडीगढ़	909,301.00	शून्य	शून्य	3,054,642.00	278,267.00
7	छतीसगढ	1,395,459,290.00	4,706,161,651.83	4,707,464,976.00	5,537,418,542.00	6,459,905,704.00
8	दादर नगर हवेली	14,838,584.00	151,182,309.00	39,547,273.00	3,419,735.00	82,882,050.00
9	दमन और दीव	शून्य	शून्य	49,335,827.00	50,847.00	26.00
10	दिल्ली	933,925,777.00	857,813,824.00	63,629,942.00	52,279,058.00	1,451,630,842.00
11	गोवा	1,594,290,686.00	394,879,064.18	369,121,313.00	150,866,824.00	69,765,448.00
12	गुजरात	1,800,837,169.00	1,601,331,353.12	2,894,386,189.00	4,716,162,251.00	5,082,488,267.00
13	हरियाणा	2,610,318,843.19	685,186,448.81	1,262,485,165.00	235,609,607.00	903,685,097.00
14	हिमाचल प्रदेश	1,805,973,836.00	7,212,187,505.00	1,338,498,328.00	1,096,739,609.00	870,083,295.00

15	जम्मू एवं कश्मीर	225,812,911.00	979,493,821.00	1,162,184,049.00	1,249,086,591.00	1,368,410,380.00
16	झारखंड	5,812,020,342.20	7,746,992,099.22	8,363,270,872.00	12,733,687,210.00	9,715,014,780.00
17	कर्नाटक	2,457,863,432.80	1,947,934,644.37	4,931,308,156.00	1,242,903,168.00	2,696,230,824.00
18	केरल	130,508,275.00	69,193,451.00	75,164,171.00	88,233,162.00	19,657,719.00
19	लद्दाख	शून्य	6,099,514,713.00	4,868,960,156.00	1,586,320,852.00	957,777,546.00
20	मध्य प्रदेश	2,600,317,944.00	43,017,527,494.07	7,460,182,183.00	12,198,502,735.00	8,589,497,236.00
21	महाराष्ट्र	1,990,700,979.00	4,739,791,905.31	3,501,565,921.00	5,096,845,216.00	5,992,279,493.00
22	मणिपुर	1,097,412,718.00	806,471,296.00	723,215,469.00	1,724,707,803.00	1,437,342,044.00
23	मेघालय	162,005,277.00	277,875,646.00	90,509,971.00	176,923,719.00	546,104,177.00
24	मिजोरम	147,667,179.00	162,789,574.40	103,921,955.00	311,816,148.00	688,756,236.00
25	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	17,174,436.00
26	उड़ीसा	5,192,829,733.80	9,913,119,556.06	6,556,152,343.00	9,171,079,019.00	9,330,755,216.00
27	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	95,928.00	शून्य
28	पंजाब	1,596,136,079.00	1,532,055,354.89	415,408,299.00	683,390,995.00	649,462,880.00
29	राजस्थान	2,094,597,583.75	677,525,754.00	1,190,586,438.00	2,274,897,300.00	3,406,333,416.00
30	सिक्किम	692,495,529.00	1,225,095,801.00	642,656,030.00	2,343,510,114.00	1,768,859,574.00
31	तमिलनाडु	22,070,692.00	219,303,040.00	198,959,142.00	381,561,174.00	270,797,157.00
32	तेलंगाना	957,806,742.00	882,633,187.80	491,860,007.00	1,468,655,241.00	3,418,120,080.00
33	त्रिपुरा	454,757,594.00	628,378,098.00	559,011,811.00	15,774,162.00	375,756,746.00
34	उत्तर प्रदेश	1,471,823,791.60	2,208,538,916.31	2,197,890,271.00	1,195,618,044.00	3,045,767,972.00
35	उत्तराखंड	1,447,549,736.00	1,521,185,789.77	1,182,905,110.00	850,916,397.00	2,017,359,437.00
36	पश्चिम बंगाल	1,974,434,459.90	270,710,044.06	1,294,169,709.00	47,778,507.00	1,639,153,502.00
37	मुख्य खाता	शून्य	शून्य	शून्य	70,506,345.00	16,471,086.00
कुल		**44,001,396,509.24**	**109,078,120,387.34**	**64,965,001,733.00**	**83,263,667,347.00**	**82,957,180,958.00**

अनुलग्नक-II

"कैम्पा निधि के उपयोग का आकलन" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3469 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

(रुपयों में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का वितरण**				
		2021-22के दौरान हस्तांतरण	**2022-23के दौरान हस्तांतरण**	**2023-24के दौरान हस्तांतरण**	**2024-25के दौरान हस्तांतरण**	**2025-26के दौरान हस्तांतरण**
1	अंडमान और निकोबार (यूटी)	शून्य	शून्य	152,075,491.00	शून्य	227,413,154.59
2	आंध्र प्रदेश	1,140,548,162.00	शून्य	881,626,865.00	2,603,168,150.00	834,090,266.80
3	अरुणाचल प्रदेश	6,129,458,249.00	शून्य	5,099,719,771.00	6,478,061,755.00	10,290,107,021.25
4	असम	शून्य	1,483,397,176.00	436,301,984.00	1,912,189,872.00	518,320,517.46
5	बिहार	436,392,536.00	शून्य	868,501,465.00	2,521,075,783.00	402,444,847.20
6	चंडीगढ़(यूटी)	शून्य	शून्य	2,877,691.00	शून्य	4,192,053.50
7	छत्तीसगढ	2,075,040,301.00	शून्य	3,887,228,336.00	9,096,216,576.00	2,934,862,309.19
8	दादरा एवं नगर तथा दमन एवं दीव (यूटी)	228,700,439.00	शून्य	159,866,599.00	81,242,661.00	148,980,533.62
9	दिल्ली(यूटी)	1,381,738,583.00	शून्य	1,439,858,570.00	320,668,718.00	197,229,485.64
10	गोवा	शून्य	शून्य	1,743,280,640.00	820,624,377.00	243,011,296.99
11	गुजरात	शून्य	शून्य	3,870,350,809.00	4,774,802,142.00	3,616,937,626.76
12	हरियाणा	शून्य	शून्य	6,153,831,032.00	1,574,990,661.00	1,086,442,810.83
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	3,082,969,550.00	7,846,451,642.00	1,428,103,297.67

14	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	399,929,345.00	1,509,875,014.00	614,708,640.62
15	झारखंड	शून्य	शून्य	12,625,534,649.00	13,174,672,925.00	7,304,243,612.38
16	कर्नाटक	शून्य	शून्य	3,634,438,649.00	6,426,246,467.00	1,362,534,781.85
17	केरल	शून्य	शून्य	144,662,791.00	87,484,192.00	98,677,634.95
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	257,774,537.00	10,356,140,465.00	661,779,434.87
19	मध्य प्रदेश	9,908,299,200.00	**शून्य**	33,422,850,313.00	13,640,182,036.00	8,031,244,702.66
20	महाराष्ट्र	2,852,221,971.00	शून्य	2,110,182,251.00	6,928,902,213.00	3,980,910,860.19
21	मणिपुर	364,361,620.00	शून्य	842,648,236.00	1,750,731,588.00	597,283,603.26
22	मेघालय	शून्य	शून्य	313,433,480.00	266,660,845.00	124,684,401.47
23	मिजोरम	शून्य	शून्य	178,067,628.00	259,761,120.00	75,508,877.56
24	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.50
25	ओडिशा	3,472,730,804.00	शून्य	12,584,856,704.00	15,397,869,903.00	4,984,020,239.31
26	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**	86,111.00
27	पंजाब	शून्य	294,932,090.00	2,369,760,879.00	1,780,316,375.00	708,370,084.24
28	राजस्थान	शून्य	शून्य	2,220,719,479.00	1,671,235,421.00	2,005,175,197.72
29	सिक्किम	शून्य	102,008,491.00	888,198,305.00	1,818,972,970.00	300,227,209.08
30	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	208,057,203.00	414,559,668.00	103,101,068.09
31	तेलंगाना	शून्य	677,622,192.00	1,909,453,973.00	1,184,116,342.00	1,277,264,615.37
32	त्रिपुरा	479,987,468.00	शून्य	845,876,000.00	923,412,345.00	202,817,679.15
33	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	4,673,475,346.00	3,889,546,995.00	1,196,542,772.54
34	उत्तराखंड	शून्य	1,189,955,031.00	3,121,311,905.00	1,912,605,580.00	1,565,181,221.42
35	पश्चिम बंगाल	शून्य	692,838,990.00	1,832,501,137.00	1,410,049,997.00	318,799,037.77
कुल		**28,469,479,333.00**	**4,440,753,970.00**	**112,362,221,613.00**	**122,832,834,798.00**	**57,445,297,011.50**

अनुलग्नक-III

"कैम्पा निधि के उपयोग का आकलन" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3469 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कैम्पा निधि के अंतर्गत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर) तथा कृत्रिम पुनर्जनन (एआर) की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
		सीए उपलब्धि (हेक्टेयर में)	एनपीवी उपलब्धि (एएनआर+एआर) (हेक्टेयर में)	सीए उपलब्धि (हेक्टेयर में)	एनपीवी उपलब्धि (एएनआर+एआर) (हेक्टेयर में)	सीए उपलब्धि (हेक्टेयर में)	एनपीवी उपलब्धि (एएनआर+एआर) (हेक्टेयर में)	सीए उपलब्धि (हेक्टेयर में)	एनपीवी उपलब्धि (एएनआर+एआर) (हेक्टेयर में)	सीए उपलब्धि (हेक्टेयर में)	एनपीवी उपलब्धि (एएनआर+एआर) (हेक्टेयर में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	36.56	239.18	95.47	204.80	191.87	253.00
2	आंध्र प्रदेश	500.91	5136.00	485.11	5380.00	708.54	3594.00	311.12	975.50	1454.22	983.50
3	अरुणाचल प्रदेश	1793.93	6964.25	11608.44	6774.65	4458.67	10678.80	2858.42	6663.38	शून्य	683.13
4	असम	652.58	1320.00	114.50	1644.73	शून्य	450.00	382.56	3587.82	22.09	2144.37
5	बिहार	1661.51	4695.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1321.09	शून्य	563.35	1267.00
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	0.79	शून्य	0.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	2963.34	12500.68	1541.69	35459.81	465.20	3663.42	467.74	5877.20	64.54	46347.63
8	दिल्ली	47.54	शून्य	23.02	शून्य	72.06	10.00	37.34	शून्य	शून्य	40.00
9	गोवा	200.00	40.00	200.00	170.00	299.00	385.00	470.00	50.00	217.22	30.00
10	गुजरात	1019.85	527.56	3646.72	2725.00	4584.53	4279.91	2004.94	6248.50	1605.26	24647.43
11	हरियाणा	1240.06	1240.79	1870.22	1698.65	1608.86	1004.06	शून्य	शून्य	310.72	4920.02
12	हिमाचल प्रदेश	876.00	1089.00	899.00	693.00	885.00	979.00	888.00	2396.00	912	1781.00

13	जम्मू एवं कश्मीर	3545.00	8444.40	306.00	8725.94	1360.71	9160.35	262.08	9600.02	626	3700.00
14	झारखंड	2734.49	7909.53	3324.86	6922.00	3202.83	13684.00	2789.84	9489.95	1457.83	8308.54
15	कर्नाटक	188.03	15162.00	522.77	9379.00	715.01	11015.00	720.29	8882.72	575.58	51886.72
16	केरल	11.70	801.94	42.84	725.50	शून्य	130.90	117.26	शून्य	शून्य	20.00
17	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.32	शून्य	35.00
18	मध्य प्रदेश	3892.66	12085.43	3585.66	39270.37	3457.22	36888.93	5301.66	3089.27	1150.83	44655.00
19	महाराष्ट्र	633.57	शून्य	218.35	8316.86	182.27	2704.00	544.38	1450.00	723.29	2100.00
20	मणिपुर	666.94	3140.00	शून्य	1030.00	शून्य	2540.00	शून्य	1335.00	शून्य	800.00
21	मेघालय	शून्य	301.40	शून्य	600.04	114.56	10.00	शून्य	शून्य	शून्य	605.22
22	मिजोरम	1236.50	500.00	1303.78	शून्य	29.96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	370.00
23	ओडिशा	3802.20	43548.00	3501.45	40360.00	4632.86	55827.00	1628.66	31079.00	3939.51	14061.00
24	पंजाब	311.99	4458.00	645.00	5077.00	800.38	4575.00	940.38	4050.00	374.8	6037.00
25	राजस्थान	2147.85	9950.00	808.52	17515.00	444.79	10267.00	1365.40	14130.00	1800.49	17475.00
26	सिक्किम	106.04	350.00	183.98	880.00	94.67	530.00	53.19	480.00	197.26	330.00
27	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	82.57	401.50	शून्य	शून्य	शून्य	314.00
28	तेलंगाना	4178.16	4984.35	2490.07	10161.08	2052.71	12399.02	551.12	5943.92	1622.2	2083.03
29	त्रिपुरा	182.80	410.00	391.86	545.78	566.40	23.50	669.85	869.91	388.01	959.67
30	उत्तर प्रदेश	1136.58	11574.86	1091.43	21664.94	1604.68	38212.00	1288.60	शून्य	2839.78	1529.10
31	उत्तराखंड	2325.61	1973.07	2738.62	3434.59	2448.71	3654.50	1697.24	4118.75	983	1660.90
32	पश्चिम बंगाल	122.42	145.00	282.03	215.00	106.17	174.50	139.92	232.40	126.38	954.40
कुल		**38178.26**	**159251.26**	**41826.71**	**229368.94**	**35015.10**	**227480.57**	**26906.55**	**120763.46**	**22146.23**	**240981.66**
